संख्या- 7/2017/343 /अडतीस-7-2017-42एनआरईजीए/2007

प्रेषक,

उमा कान्त पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

1 समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।
2 समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 12 मई, 2017**

विषय- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत शेड्यूल आफ रेट्स के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 2706/अडतीस-7-2008-एनआरईजीए/2008 दिनांक: 28-11-2008 तथा सपठित शासनादेश संख्या-8162/अडतीस-7-2010-42एनआरईजीए/2007 दिनांक: 28-12-2010, शासनादेश संख्या-2012/अडतीस-7-2013-42एनआरईजीए/2007 दिनांक: 10-06-2013, शासनादेश संख्या-1369/अडतीस-7-2014-42एनआरईजीए/2007 दिनांक: 24-06-2014 एवं शासनादेश संख्या-837/अडतीस-7-2015-42एनआरईजीए/2007 दिनांक: 01-05-2015 शासनादेश संख्या-649/अडतीस-7-2016-42एनआरईजीए/2007 दिनांक: 13-05-2016 द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत् कार्यों के लिए शेड्यूल आफ रेट्स (एसओआर) निर्धारित किया गया था। शासनादेश संख्या-जीआई-40/अडतीस-7-2017-42एनआरईजीए/2007 दिनांक: 18-04-2017 द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर रू0 174-00 को पुनरीक्षित करते हुए रू0 175-00 निर्धारित की गयी है

2- उक्त के दृष्टिगत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यों के लिए संलग्नक के अनुसार शेड्यूल आफ रेट्स की दरें पुनर्निधारित जाती हैं। ऐसी मदें जिनका उल्लेख शेड्यूल आफ रेट्स (एसओआर) में नहीं हैं, उनके संबंध में विभागीय (सिचांई, लोक निर्माण एवं वन विभाग) दरें प्रभावी होंगी। कृपया उक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3- तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक- 28-11-2008, 28-12-2010, 24-09-2012, 10-06-2013, 24-06-2014, 01-05-2015 एवं 13-05-2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

संलग्नक यथोक्त ।

भवदीय
(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

संख्या- 7/2017/343(1)/अड्तीस-7-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।**
2. **अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास,` उत्तर प्रदेश।**
3. **निदेशक, सोशल आडिट, उत्तर प्रदेश ।**
4. **समस्त मण्डलायुक्त , उत्तर प्रदेश ।**
5. **समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।**
6. **वेब मास्टर, ग्राम्य विकास।**
7. **गार्ड बुक।**

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।